दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

डीडीए की जन शिकायत निवारण प्रणाली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जन शिकायतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और कई जन शिकायत निवारण माध्यम जैसे सीपीजीआरएएमएस, डीआरएमएस, एलजी लिसनिंग पोस्ट, मुख्यमंत्री जन सुनवाई/पीजीएमएस, डीडीए 311 ऐप और समस्या निदान सेवा (एसएनएस) सम्मिलित हैं, जिससे नागरिक अपनी शिकायतों और समस्याओं के साथ डीडीए से सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, डीडीए कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को जन–सुनवाई आयोजित की जाती है, जहाँ नागरिक बिना किसी पूर्व अपॉइंटमेंट के निर्धारित समय पर डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

यह देखा गया है कि एसएनएस और डीडीए 311 ऐप के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतें मुख्य रुप से एक समान होती हैं। शिकायतों की पुनरावृत्ति से बचने और शिकायतों का शीघ्र तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 अगस्त, 2026 से एसएनएस के माध्यम से कोई नई ग्रीवांस या शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।

आम जनता से अनुरोध है कि डीडीए से संबंधित सभी ग्रीवांस/शिकायतों के लिए डीडीए 311 ऐप और उपर्युक्त सुविधाओं के माध्यम से पंजीकरण करें। नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।

ddaofficial official_dda official_dda_
पर हमें फॉलो करें।

कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।